<u>खान आयुक्त का न्यायालय, बिहार</u>

वाहन अधिहरण अपील वाद संख्या–08/2025

<u>जिला–बक्सर</u>

देवेन्द्र प्रसाद ... **वादकर्ता**

बनाम

समाहर्त्ता, बक्सर एवं अन्य ... **प्रतिपक्ष**

<u>आदेश</u>

<u>27.09.2025</u>

A. 1. यह अपील बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–56(क) के आलोक में समाहर्त्ता, बक्सर के वाद संख्या–90/2024–25 में दिनांक–16.05.2025 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

2. समाहर्त्ता, बक्सर द्वारा दिनांक–16.05.2025 के आदेश से अपीलकर्त्ता को 15 दिनों के अन्दर अधिरोपित दण्ड की राशि ₹2,74,100/– जमा करने अन्यथा जब्त वाहन को राज्यसात कर नीलाम करने का निदेश पारित किया गया है।

B. अपीलकर्त्ता का कहना है कि उनका ट्रक (निबंधन संख्या–BR44G-9816) दिनांक–07.09.2024 को वैध चालान के साथ रोहतास से बालू लोड कर चला, किन्तु उसी दिन ट्रक का गुल्ला टूट जाने के कारण दिनारा–धनसोई के बीच बिहारी राइस मिल स्थित पेट्रोल पम्प के पास रूका रहा। दिनांक–10.09.2024 को मरम्मत के पश्चात गंतव्य की ओर प्रस्थान करने के दौरान बक्सर गोलम्बर के पास बिना जब्ती सूची के जब्त कर अवैध रूप से रखा गया है। अतः उनका वाहन विमुक्त किया जाए।

C. Issues for determination

क्या जिला खनन कार्यालय, बक्सर द्वारा पत्रांक–कैम्प001, दिनांक–10.08.2024 से किए गए वाहन की जब्ती वैध है ?

D. विवेचना :–

1. (i) अपीलकर्त्ता के वाहन संख्या–BR44G-9816 पर लदे बालू के लिए परिवहन की वैधता दिनांक–08.09.2024 तक थी।

(ii) अपीलकर्त्ता के वाहन को दिनांक–10.09.2024 को गोलम्बर चेक प्वाइंट, बक्सर के समीप पकड़ा गया एवं उस समय वाहन पर लदा बालू अवैध था।

2. (i) बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम–56(3) में निम्न प्रावधान है:–

"जब कभी किसी व्यक्ति द्वारा बगैर किसी विधिक अधिकार के, बगैर खनिज अनुदान या अन्य अनुमति के, खनिज का उठाव किये जाने की स्थिति में वहीं लाये गए मशीन, उपकरण, वाहन या अन्य सामाग्री लायेगा, उसे जिला के खनन पदाधिकारी या पुलिस पदाधिकारी या सहायक, उप, अपर निदेशक या निदेशक खान या समाहर्त्ता द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी द्वारा जप्त कर उस व्यक्ति को जिसके अधिकार में होगा, उसे जप्त कर उसे जप्त सामाग्री या खनिज की प्राप्ति रसीद देगा।

परन्तु इस नियम के अधीन जप्ति करने वाला प्रत्येक पदाधिकारी जप्त किये गए सामाग्री या खनिज को निकटतम पुलिस थाना या पुलिस चौकी को सुपूर्द करेगा।"

(ii) वर्तमान मामले में वाहन जिला खनन कार्यालय, बक्सर के पत्रांक–कैम्प–001, दिनांक–10.09.2024 से जिला परिवहन पदाधिकारी, बक्सर की अभिरक्षा में सौंपा गया है, जो उक्त नियम के अनुरूप नहीं है।

(iii) वाहन जब्ती की रशीद भी वाहन चालक/मालिक को उपलब्ध कराया गया हो, इस संबंध में कोई अभिलेख/दस्तावेज खान निरीक्षक, बक्सर द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

3. वाहन को निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर जब्त नहीं किया गया है, इसलिए वाहन को विमुक्त करना उचित होगा। चूँकि वाहन पर लदा बालू जब्ती तिथि को अवैध था, इसलिए अवैध बालू पर अपीलकर्त्ता का दावा नहीं बनता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यदि अन्य किसी मामले/नियम के अधीन वाहन के विमुक्ति पर रोक नहीं हो तो ट्रक से बालू अनलोड करने के पश्चात, वाहन अपीलार्थी की पहचान पर विमुक्त कर दिया जाए। बालू अनलोड करने में होने वाले व्यय का वहन अपीलकर्त्ता द्वारा किया जाएगा। समाहर्त्ता, बक्सर निदेशित हैं कि अवैध बालू के नियमानुसार राज्यसात करने की कार्रवाई अविलंब की जाए।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/–
(दिवेश सेहरा)
सचिव–सह–खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

ह0/–
(दिवेश सेहरा)
सचिव–सह–खान आयुक्त,
खान एवं भूतत्व विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 5494 /एम0, दिनांकः– 27/09/25

प्रतिलिपि :– समाहर्त्ता, बक्सर/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, बक्सर/श्री देवेन्द्र प्रसाद, पिता–श्री बदन प्रसाद, ग्राम–अहिरौली, बक्सर, थाना–बक्सर इण्डस्ट्रीयल, जिला–बक्सर, ईमेल–manishraisharma02gmail.com/आई0 टी0 प्रबंधक, खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.9.2025

विशेष कार्य पदाधिकारी